

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक प0 30(6) म.म. / 2018

जयपुर दिनांक:-

16/11/18

परिपत्र

विषय :- राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन राजस्थान विधानसभा के आगामी बजट सत्र में प्रस्तुत किये जाने बाबत।

राजस्थान विधानसभा का वर्ष 2019-20 का बजट सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व प्रशासनिक विभागों द्वारा राजकीय बोर्ड/निगम/उपकर्मों आदि के वर्ष 2018-19 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार किये जाकर, प्रतियां राजस्थान विधानसभा के माननीय सदस्यों को वितरित किये जाने हेतु भिजवाये जाते हैं।

मुख्य सचिव महोदय के हस्ताक्षर से जारी वित्त (बजट) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प. 4(3)वित्त-1(1)बी/2006 दिनांक 27.4.2006 एवं मंत्रिमण्डल सचिवालय के बैठक निर्णय क्रमांक प0 30(6) म.म. / 2016 पार्ट दिनांक 05.06.2018 में दिये गये निर्देशों की पालना करते हुये प्रशासनिक विभागों द्वारा उनके अधीनस्थ विभाग/बोर्ड/निगम/उपकर्मों आदि, जिनके वार्षिक प्रगति विवरण/प्रशासनिक प्रतिवेदन विधानसभा के आगामी बजट सत्र में प्रस्तुत किये जाने हैं, में दिनांक 30 नवम्बर तक की सूचना/ऑकड़े सम्मिलित करते हुए तैयार किये जावेंगे, अभी तक उक्त प्रतिवेदन दिनांक 31 दिसम्बर की सूचना संकलित कर तैयार किये जा रहे थे। वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 31 दिसम्बर तक अनिवार्य रूप से विधानसभा सचिवालय को भिजवाये जावेंगे, संबंधित विभागों द्वारा यह पुष्टि की जावेगी कि उनके अधीनस्थ समस्त विभाग/बोर्ड/निगम/उपकर्मों इत्यादि के प्रगति विवरण में दिनांक 30 नवम्बर तक के ऑकड़े/सूचना को सम्मिलित कर लिया गया है तथा विधानसभा में भेजे जाने वाले वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन में चालू वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान एवं आगामी वित्तीय वर्ष के बजट अनुमानों का उल्लेख नहीं किया गया है।

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन की 325 प्रतियां विधानसभा के आगामी बजट सत्र से पूर्व 31 दिसम्बर तक निरिचत रूप से विधानसभा को भिजवाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित विभाग का होगा। वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा सचिवालय में विलम्ब से पहुंचने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। प्रतिवेदन की 5 प्रतियां वित्त (आय-व्ययक) विभाग, एक-एक प्रति प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर एवं महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर, समस्त माननीय संसद सदस्यों को कृपया प्रगति विवरण/प्रशासनिक प्रतिवेदन राजभाषा हिन्दी में ही भेजा जाना सुनिश्चित करें। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रशासनिक विभाग अपने अधीन विभाग/बोर्ड/निगम/उपकर्मों के प्रशासनिक प्रतिवेदन एकजाई कर समन्वय विभाग के द्वारा प्रेषित करते हुये एक प्रति इस सचिवालय को भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

माननीय मुख्यमंत्री महोदया के निर्देशानुसार वर्ष 2018-19 के बजट सत्र में वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन में एकरूपता तथा इसके अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए इसमें निम्न बिन्दुओं को भी सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित किया जावे:-

1. विभाग का संगठनात्मक ढांचा।
2. स्वीकृत- कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण।
3. विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरुद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्ष से तुलना।
4. आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धि।
5. सार- संक्षेप (Executive summary)।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(शिखर अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव


प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मा० मंत्री, संसदीय कार्य विभाग।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग/प्रकोष्ठ।
6. रक्षित पत्रावली।


(कैलाश चन्द्र गुप्ता)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

4. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष


वरिष्ठ शासन उप सचिव